## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), पाली
## पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 17/2018

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थी |
|---|---|---|
| 1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जिला पाली | | धीरेन्द्रसिंह पुत्र रोशनसिंह जाति राजपूत निवासी तिलक नगर, पाली |

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थित :–
सरकारी पैरोकार
श्री मोहम्मद शरीफ काज़ी, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी

–: निर्णय :–

दिनांकः–11/10/2019

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने बहस में कथन किया कि ग्राम बेड़ा चक प्रथम के खसरा नम्बर 1865/4992 रकबा 0.45 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 तथा खसरा नम्बर 1926/4993 रकबा 0.50 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 रास्ता की भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी की खातेदारी भूमि के रूप में दर्ज हैं। उक्त भूमि मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2037–56 के अनुसार गै0मु0 रास्ता/गै0मु0 तालाब के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। उक्त भूमि पूर्व में अजीतसिंह पुत्र लखसिंह देवल जाति राजपूत से अप्रार्थी द्वारा क्रय की गई हैं। चूंकि उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 16 में प्रतिबन्धित होने के कारण आवंटन/नियमन से बाधित थी एवं उक्त भूमि पूर्व में गै0मु0 तालाब के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी, जिसे गै0मु0 व गै0मु0 रास्ते के रूप में दर्ज किया गया है, जो न केवल विधि विरूद्ध है, बल्कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 के प्रावधानों के विपरीत हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं ग्राम बेडा के नामान्तरकरण संख्या 1495 दिनांक 17.11.2015 को निरस्त करते हुए प्रकरण में विवादित आराजी को राजस्व रेकर्ड में गै0मु0 रास्ता/तालाब के रूप में दर्ज कराते हुए खाता संख्या 1 में दर्ज कराने का आदेश पारित करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि खसरा नम्बर 1865/4992 व खसरा नम्बर 1926/4993 की कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 1968 व 1971 से बने हैं। उक्त पुराने खसरा नम्बरान् की भूमि कृषि उपयोग की भूमि थी। इन पुराने खसरा नम्बरान सहित अन्य खसरा नम्बर 1971, 1970, 1968 कुल रकबा 27 बीघा

भूमि स्व0 लखसिंह के स्वामित्व व कब्जे काश्त की भूमि थी व इस बाबत राजस्व वाद संख्या 37/75 विचाराधीन होकर निर्णय दिनांक 21.09.1977 के जरिये लखसिंह के वारिस अजीतसिंह के पक्ष में खातेदारी घोषित की गई। उक्त निर्णय को किसी भी सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई है, इस कारण उक्त डिक्री अन्तिम हो चुकी है। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि रेकर्डेड खातेदार से क्रय की गई है तथा उक्त विक्रय के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1495 दिनांक 17.11.2015 को स्वीकृत किया गया है। प्रकरण हाजा में प्रार्थी द्वारा इस नामान्तरकरण को ही निरस्त कराने का अनुतोष चाहा है, यदि उक्त अनुतोष स्वीकार भी कियां जाता है, तो भूमि पुनः अजीतसिंह के नाम दर्ज होगी, जो प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होते हुए भी पक्षकार नहीं बनाया गया। इसके अतिरिक्त तालाब की भूमि के पुराने खसरा नम्बर 1868 है व रास्ते की भूमि के पुराने खसरा नम्बर 1820 है, इन पुराना खसरा नम्बरान् के नए खसरा नम्बर क्या कायम हुए ? इसका रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में इन्द्राज ही नहीं हैं। ओवरलेपिंग मेप से भी यह स्पष्ट होता है कि गत खसरा नम्बर 1968 से हाल खसरा नम्बर 1865/4992 कायम हुए तथा खसरा नम्बर 1968 व 1971 से हाल खसरा नम्बर 1926/4993 कायम हुए, इस प्रकार जैर प्रार्थना पत्र विवादित आराजी तालाब का हिस्सा नहीं हैं। इस प्रकार तालाब दर्शाते हुए यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो विधि सम्मत नहीं हैं। खसरा नम्बर 1865/4992 व 1926/4993 की भूमि गैर मुमकिन दर्शाई गई है, इस बाबत रेकर्ड दुरूस्ती एवं घोषणा बाबत वाद सहायक कलक्टर बाली के समक्ष प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है। इस वाद में पक्षकारों के हक अधिकारों का निर्धारण होगा, इस कारण हस्तगत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं हैं। यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र जनहित याचिका संख्या 1526/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में प्रस्तुत किया है, जबकि प्रकरण हाजा में विवादित आराजी उक्त निर्णय से प्रभावित ही नहीं होती हैं। पुराने व नये खसरा नम्बर का मिलान व नक्शे की त्रुटि भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा द्वितीय भू-प्रबन्ध के समय की गई है, जिसकी दुरूस्ती हेतु वाद सक्षम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं। स्वयं प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो जवाब प्रस्तुत किया है, उसमें नये व पुराने खसरा नम्बरान् के रेकर्ड में त्रुटि होना स्वीकार किया हैं। पुराने खरा नम्बर 1868 तालाब के पश्चिम की तरफ खसरा नम्बर 1962 की भूमि तथा इसके पश्चिम की तरफ रास्ता है, जो पुराने खसरा न्म्बर 1820 हैं। इस खसरा नम्बर 1820 के रास्ते के पश्चिम की तरफ पुराने खसरा नम्बर 1968 व 1971 की भूमि स्थित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में विवादित आराजी रास्ते की आराजी नहीं हैं। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों से परे जाकर रेफरेन्स हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज योग्य हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जावें।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण में विवादित आराजी ग्राम बेड़ा प्रथम के खसरा नम्बर 1865/4992 रकबा 0.4500 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 तथा खसरा नम्बर 1926/4993 रकबा 0.5000 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 रास्ता की भूमि अजीतसिंह पुत्र लखसिंह देवल जाति

अति. जिला कलक्टर (सतर्कता)
पाली (राज.)

राजपूत की खातेदारी भूमि थी, जो अप्रार्थी को बेचान करने के कारण अप्रार्थी धीरेन्द्रसिंह पुत्र रोशनसिंह जाति राजपूत निवासी तिलकनगर, पाली का नाम बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। प्रकरण हाजा में मुख्य रूप से यह तथ्य देखा जाना है कि क्या वर्तमान खसरा नम्बर 1865/4992 रकबा 0.4500 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 तथा खसरा नम्बर 1926/4993 रकबा 0.5000 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 रास्ता की भूमि पूर्व में तालाब की भूमि होकर अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से प्रभावित होती हैं ? इस सम्बन्ध में रेकर्ड का परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि ग्राम बेड़ा तहसील बाली के हाल खसरा नम्बर 1865/4992 रकबा 0.4500 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1926/4993 रकबा 0.5000 हैक्टेयर की भूमि गत खसरा नम्बर 1971 मी. से बने है। ग्राम बेडा तहसील बाली की जमाबन्दी सम्वत् 2009 से 2028 के अनुसार गत खसरा नम्बर 1971 रकबा 58 बीघा 5 बिस्वा की भूमि किस्म बारानी दोयम प्लस थी। इससे यह प्रकट होता है कि जिस भूमि का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, वह भूमि तालाब की भूमि नहीं होकर बारानी दोयम प्लस भूमि थी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत न तो प्रतिबन्धित थी तथा न ही जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से प्रभावित थी। इस प्रकार प्रकरण हाजा में तहसीलदार बाली द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, वह सन्दर्भित नियमों के तहत पोषणीय नहीं पाया जाता हैं।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ किया जाता हैं। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), पाली

निर्णय आज दिनांक 11/10/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), पाली